भामाशाह वित्तीय सशक्तिकरण एवं नारी समृद्धि

योजनान्तर्गत नामांकन प्रगतिः

1. राज्य सरकार द्वारा अपने आदेश क्रमांक एफ.25 (5)/आयो/सं.वि./VI/07/पार्ट–II, दिनांक 09.07.2008 के साथ जारी दिशा–निर्देशों के अनुसरण में Infrastructure Service Provider M/s. IL&FS and M/s. Bartronics India Ltd. ने 21 जुलाई, 2008 से 3 सितम्बर 2008 तक की अवधि में सभी जिलों में कैम्पस् आयोजित कर जिला प्रशासन के सहयोग से भामाशाह योजना के पात्र परिवारों के नामांकन का कार्य किया। इस नामांकन अभियान में M/s. IL&FS को आवंटित 29 जिलों में कुल 40.97 लाख नामांकन हुए एवं M/s. Bartronics को आवंटित भरतपुर संभाग के 4 जिलों में 4.62 लाख नामांकन हुए। इस प्रकार कुल नामांकन 45.59 लाख हुए। जिलेवार लक्ष्य की तुलना में किये गये नामांकनों की संख्या M/s. IL&FS के लिए **परिशिष्ट–1** एवं M/s. Bartronics के लिये **परिशिष्ट–2** में उपलब्ध है।

योजना की क्रियान्विति हेतु भामाशाह केन्द्रों की स्थापनाः

2. भामाशाह वित्तीय सशक्तिकरण एवं नारी समृद्धि योजना का क्रियान्वयन भामाशाह योजना के तहत स्थापित किये जा रहे सेवा केन्द्रों के माध्यम से किया जाना है। जैसा कि आपको विदित है कि राज्य सरकार की योजना 15,000 भामाशाह सेवा केन्द्रों की स्थापना करने की है ताकि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के सभी परिवार 3 से 5 किलोमीटर की परिधि में बैंकिंग एवं अन्य सेवाओं को इन केन्द्रों के माध्यम से प्राप्त कर सके। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि 15,000 भामाशाह सेवा केन्द्रों की स्थापना दो चरणों में की जायेगी। प्रथम चरण में सभी ग्राम पंचायतों में एक भामाशाह सेवा केन्द्र स्थापित किया जायेगा। 1 अप्रेल 2009 से शुरू होने वाले द्वितीय चरण में 3 से 5 किलोमीटर की परिधि के मापदण्ड को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक पंचायत में कम से कम एक, तथा बड़ी पंचायतों में एक से अधिक, भामाशाह सेवा केन्द्रों की स्थापना का कार्यक्रम बनाया गया है। भामाशाह सेवा केन्द्र की स्थापना 22 सितम्बर 2008 से शुरू होने वाले सप्ताह में की जा रही है। पंचायत–वार भामाशाह सेवा

केन्द्रों की स्थापना का कार्यक्रम (स्थान व दिनांक सहित) **परिशिष्ट–3** में दिया गया है। परिशिष्ट–3 में अंकित दिनांकों से M/s. IL&FS and M/s. Bartronics द्वारा सभी पंचायतों में उपयुक्त स्थानों पर आवश्यक मशीन, भामाशाह ट्रांजेक्शन मशीन (BTM), उपलब्ध करा दी जायेगी। ये मशीन इन्टरनेट या अन्य माध्यमों के जरिये राज्य स्तर पर स्थापित भामाशाह राज्य डेटा सेन्टर (BSDC) व बैंकों के Financial Inclusion Server (FIS) से जुड़ी होगी। इन्हीं मशीनों के माध्यम से ही बैंकिंग एवं अन्य इलेक्ट्रोनिक ट्रांजेक्शन किये जावेगें।

3. भामाशाह सेवा केन्द्रों (BSCs) पर बैंकिंग सुविधा M/s. IL&FS को आवंटित जिलों में पंजाब नेशनल बैंक / स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया / स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर एवं तथा M/s. Bartronics को आवंटित जिलों में बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा उपलब्ध करवाई जायेगी। राज्य के तैंतीस जिलों का बैंकवार आवंटन **परिशिष्ट–4** पर उपलब्ध है। भामाशाह ट्रांजेक्शन मशीन (BTM) के माध्यम से बैंकिंग ट्रांजेक्शन रिजर्व बैंक के नियमानुसार बैंक द्वारा नियुक्त/अधिकृत business correspondents द्वारा ही किया जा सकता है। इस हेतु संबंधित बैंकों ने M/s. IGS [IL&FS के जिलों में] and M/s. Lupin [Bartronics के जिलों में] को रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों को ध्यान में रखते हुए Business correspondents नियुक्त किया है। अतः भामाशाह सेवा केन्दों पर M/s. IGS / M/s. Lupin द्वारा नियुक्त किये गये एजेन्ट/कर्मचारियों द्वारा बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी। भामाशाह ट्रांजेक्शन मशीन के माध्यम से non-banking सेवाओं के संचालन हेतु M/s. IL&FS and M/s. Bartronics ने अपने अपने क्षेत्रों में M/s. Basix and M/s. Lupin के साथ समझौता किया हैं। M/s. Basix and M/s. Lupin द्वारा प्रत्येक भामाशाह सेवा केन्द्र के लिये एक ऑपरेटर की सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है।

4. भामाशाह सेवा केन्द्र के संचालन हेतु आने वाले समय में एक अलग कार्यालय बनाया जायेगा। प्रथम चरण में, भामाशाह सेवा केन्द्रों हेतु उपयुक्त स्थान M/s. IL&FS and M/s. Bartronics चयनित करेगा। ऐसा स्थान ग्राम पंचायत कार्यालय, या अन्य सरकारी भवन या किसी निजी दुकान/भवन हो सकता है। जहां M/s. IL&FS and M/s. Bartronics को उपयुक्त निजी दुकान/भवन तत्काल उपलब्ध

नहीं होती हैं, ऐसे स्थानों पर विकास अधिकारी एवं संबंधित ग्राम पंचायत Infrastructure service provider को अस्थाई रूप से किसी सरकारी भवन में उपयुक्त स्थान उपलब्ध करवायेंगें। ऐसे स्थान हेतु एक टेबल–कुर्सी और एक lockable छोटी आलमारी रखने का स्थान मिल जाये तो पर्याप्त होगा। टेबल–कुर्सी और lockable आलमारी का इंतजाम M/s. IL&FS and M/s. Bartronics द्वारा किया जायेगा। 31.03.2009 से पूर्व M/s. IL&FS and M/s. Bartronics को अन्यत्र उपयुक्त स्थान ढूंढ कर, यह अस्थाई स्थान खाली करना होगा। भामाशाह सेवा केन्द्र के स्थान के चयन पश्चात् उस स्थान पर प्रमुख रूप से "**भामाशाह सेवा केन्द्र**" M/s. IL&FS and M/s. Bartronics द्वारा लिखा जायेगा एवं उसी स्थान से भामाशाह वित्तीय सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत उपलब्ध करवाई जाने वाली सुविधाएं सेवाएं नामांकित व्यक्ति को उपलब्ध करवाई जायेगी।

स्मार्ट कार्डस् वितरण एवं बैंकिंग खाता शुरू करने हेतु कार्यक्रम :

5. भामाशाह सेवा केन्द्र के संचालन हेतु भामाशाह ट्रांजेक्शन मशीन (BTM) की व्यवस्था M/s. IL&FS and M/s. Bartronics द्वारा की जा चुकी है। इन मशीनों को बैंकिंग एवं अन्य सुविधाओं के संचालन हेतु प्रोग्राम किया जा रहा है। भामशाह सेवा केन्द्र की स्थापना से पूर्व इन BTMs को पूरी तरह से प्रोग्राम कर लिया जायेगा एवं प्रत्येक पंचायत के लिये निर्धारित की गई BTM में उस पंचायत के नामांकन पश्चात बने सभी खातेदारों का एवं उसमें राज्य सरकार द्वारा जमा करवाई गई 1500/– रूपये का विवरण पहले से ही डाल (load) दिया जायेगा। भामाशाह सेवा केन्द्र की स्थापना के पश्चात् प्रथम 15–30 दिवस में प्रत्येक पंचायत में इन केन्द्रों के माध्यम से निम्नलिखित कार्य सम्पादित किये जायेंगें:–

   (i) नामाकिंत बी0पी0एल0 खातेदारों से सम्बन्धित कार्य
   (ii) नामांकित गैर बी0पी0एल0 खातेदारों से संबंधित कार्य
   (iii) नामांकन चरण में अपूर्ण नामाकित परिवारों से संबंधित कार्य
   (iv) प्रथम चरण के नामांकन कैम्प में उपस्थित नही होने वाले बी0पी0एल0 तथा अन्य पात्र परिवारों से संबंधित कार्य

नामांकित बी0पी0एल0 खातेदारों से संबंधित कार्य :–

6. नामांकन प्रक्रिया में सभी आवश्यक सूचनाओं के उपलब्ध होने एवं संबंधित परिवार को भामाशाह वित्तीय सशक्तिकरण के अंतर्गत 1500/– रूपये की राजकीय सहायता प्राप्त करने के योग्य पाये जाने पर ऐसे बी0पी0एल0 परिवारों की महिलाओं के नाम पर बैंक खाते खोले जा रहे है। केन्द्रों की स्थापना से पूर्व ऐसे संबंधित परिवारों के खातों में राज्य सरकार द्वारा 1500/– रूपये जमा करवा दिये गये है/करवाये जा चुके होगें। इन परिवारों से संबंधित निम्नलिखित कार्य किये जायेंगेः–

(अ) संबंधित बैंक द्वारा ऐसे सभी परिवारों के खाते खोलने के परिणामस्वरूप खातेदार को खाते खुलने की सूचना एवं बैंक के साथ जुड़ने के लिये एक स्वागत पत्र दिया जावेगा जिसका प्रारूप **परिशिष्ट–5** (बैंक का नाम यथानुसार परिवर्तित कर लें) पर दिया गया है।

(ब) राज्य सरकार द्वारा इन सभी बीपीएल परिवारों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा भी उपलबध कराया है। ऐसे सभी परिवारों को बीमा कम्पनी मैसर्स आईसीआईसीआई लोम्बार्ड (ICICI Lombard) द्वारा स्वागत पत्र एवं बीमा योजना से संबंधित सभी जानकारी के संबंध में एक पत्र और बीमा पालिसी के मुख्य–बिन्दु उपलब्ध करवाया जावेगा, जिसका प्रारूप **परिशिष्ट–6** पर उपलब्ध है।

(स) ऐसे सभी बीपीएल परिवारों को चूंकि बैंक खाते एवं स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभ मिलेगा, अतः खातेदार महिला की छः उंगलियों के बायोमेट्रिक्स स्मार्ट कार्ड पर डालने एवं बैंक तथा बीमा कम्पनी को डेटा बेस हेतु उपलब्ध करवाने के लिए ऐसी महिलाओं की छः उंगलियों के निशान फिंगर रीडर मशीन के माध्यम से लिये जायेंगें। साथ ही ऐसे परिवारों के चारों सदस्यों तक अन्य सदस्य, जिन्हें भी बीमा योजना का लाभ मिलेगा, के 2–2 फिंगर प्रिन्ट के बायोगमेट्रिक्स भी लिये जायेंगें। बायोमेट्रिक्स लिये जाने का कार्य भामाशाह सेवा केन्द्रों पर ही किया जायेगा।

(द) **बायोमेट्रिक्स स्मार्ट कार्ड पर लेने के पश्चात स्मार्ट कार्ड संबंधित खातेदारों को ग्राम सेवक/पटवारी के समक्ष वितरित किये जायेंगें।**

(य) साथ ही ऐसे परिवार को 200 रूपये की राशि अपने खाते में से निकालने की सुविधा उपलब्ध करवाई जावेगी। प्रथम आहरण के रूप में 200/– रूपये की राशि का निर्धारण कैम्पों के सुचारू संचालन एवं cash management के दृष्टिकोण से किया गया है। 15 अक्टूबर 2008 या अन्य notified तारीख से बैंक खाता सामान्य रूप से भामाशाह सेवा केन्द्र पर चालू हो जायेगा एवं संबंधित परिवार अपनी शेष राशि निकालने या इस खाते का उपयोग पैसा जमा करवाने, निकलवाने

जैसे कार्य कर सकेंगे तथा बैंक खाता सामान्य बैंक खाते के अनुरूप operate होगा।

(र) बायोमेट्रिक्स ग्राम पंचायत सचिव/पटवारी की उपस्थिति में लिये जावेंगें तथा उनकी उपस्थिति में 200/– रूपये का आहरण होने का प्रमाणन संबंधित ग्राम सेवक/पटवारी द्वारा किया जायेगा। तथा प्रथम चरण के नामांकन फार्म में अनेक ग्राम सेवकों/पटवारियों द्वारा अपनी सील नहीं लगाने के कारण, उनकी सील भी इस प्रमाण पत्र पर लगई़ा जानी आवश्यक है। यह सर्टिफिकेट **परिशिष्ट–7** पर दिये गये प्रोफार्मा में लिया जावेगा। ग्राम सेवक बीपीएल परिवारों को एवं पात्र एससी/एसटी के एनआरईजीएस योजना के आधार पर नामांकित परिवारों को प्रमाण पत्र जारी करेंगें तथा लघु/सीमान्त कृषकों को पटवारी प्रमाण पत्र जारी करेंगें।

गैर–बीपीएल परिवारों के संबंध में कार्य प्रक्रियाः–

7. गैर–बीपीएल परिवारों के नामांकन पत्रों की जांच पश्चात सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद परिवारों के बैंक खाते भी पंजाब नेशनल बैंक/स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर/स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया/बैंक ऑफ बड़ौदा ने खोल दिये है तथा राज्य सरकार ने उनके खाते में 1500/– रूपये जमा करवा दिये है या जमा करवाये जा रहे हैं। ऐसे परिवारों को स्वास्थ्य बीमा के लाभ छोड़ कर अन्य सभी सुविधाएं बीपीएल परिवारों के नामांकित परिवारों की तरह ही उपलब्ध होगी। ऐसे परिवारों के लिए उपरोक्त पैरा छः में स्वास्थ्य बीमा योजना के संबंध में बताई गई प्रक्रिया के अलावा, शेष सभी प्रक्रिया उसी तरह से पूर्ण की जावेगी जिस तरह से बीपीएल परिवारों के संबंध में बताई गई है। इन परिवारों के बायोमेट्रिक्स केवल खातेदार महिलाओं की छः उंगलियों के ही लिये जायेंगें। अतः गैर–बीपीएल परिवारों हेतु भामाशाह सेवा केन्द्र में परिवार की महिला सदस्य के साथ अन्य सदस्यों को कैम्प में आमंत्रित करना आवश्यक नहीं होगा।

नामांकन चरण में नामांकित परन्तु अपूर्ण सूचना वाले परिवारों के लिये प्रक्रियाः–

8. साढ़े पैंतालीस लाख से अधिक परिवारों में से लगभग 10 से 15 प्रतिशत परिवार ऐसे है जिनके नामांकन फार्म कुछ आवश्यक सूचनाओं/प्रमाणन के संबंध में अपूर्ण है। M/s. IL&FS/ Bartronics द्वारा इन फार्मस् को पंचायतवार श्रेणीकृत कर भामाशाह सेवा केन्द्र को भिजवाया जायेगा। ऐसे परिवारों की सूची बनाई जा कर ग्राम पंचायत पर लगा दी जावेगी। इन परिवारों को भी नामांकन फार्म पूर्ण करने तथा उनके बायोमेट्रिक्स लिये जाने

हेतु आमंत्रित किया जायेगा । इन परिवारों से संबंधित निम्नलिखित कार्य इन भामाशाह सेवा केन्द्रों पर किया जायेगाः–

(अ) पूर्व कैम्पों में भरे गये फार्म में रही कमी को दूर करना। जहां आवश्यक हो उनके फोटोग्राफ इत्यादि लेना।

(ब) बीपीएल परिवार होने की स्थिति में संबंधित महिला एवं चार और सदस्यों तक के बायोमेट्रिक्स लेना एवं गैर–बीपीएल परिवार के मामलों में केवल महिला के छः उंगलियों के बायोमेट्रिक्स के रूप में लेना।

(स) यह ध्यान रहे कि इन परिवारों के स्मार्ट कार्ड नामांकन पूर्ण हो चुके परिवारों की तरह इन शिविरों में वितरित नहीं किये जा सकेंगें। इनके स्मार्ट कार्ड बनाने के लिये फार्म को, पूर्ण करवाने के लिये उपलब्ध करवाई गई सूचना सहित राज्य स्तर पर लाया जायेगा तथा समस्त सूचना पूर्ण करने के बाद स्मार्ट कार्ड बना कर एक माह पश्चात् स्मार्ट कार्ड भामाशाह सेवा केन्द्र के माध्यम से वितरित किये जायेंगें। ऐसे परिवारों के बैंक खाता खुलने के पश्चात् 1500/– रूपये राज्य सरकार द्वारा जमा करवाये जावेंगें जिनका आहरण ऐसे परिवारों द्वारा तत्पश्चात ही किया जा सकेगा और खाते को एक सामान्य बैंक खाते की भांति संचालन किया जा सकेगा।

प्रथम चरण के नामांकन कैम्प में उपस्थित नहीं होने वाले बीपीएल तथा अन्य पात्र परिवारः–

9. 21 जुलाई 2008 से 3 सितम्बर, 2008 के दौरान लगाये गये कैम्पों में 45 लाख से अधिक नामांकन होने के बावजूद भी लगभग 5 से 7 लाख परिवार ऐसे है जो पात्र होने के बावजूद भी अपना नामांकन किसी कारण से कैम्प में नहीं करवा पाये। ऐसे परिवारों को भी भामाशाह सेवा केन्द्र की स्थापना के पश्चात् अपने नामांकन करवाने की सुविधा उपलध्ब्ध होंगी। इनके प्रि–पोपूलेटेड फार्म भामाशाह सेवा केन्द्र पर उपलब्ध रहेंगें। ऐसे परिवारों को नियत दिनांकों पर नामांकन हेतु प्रस्तुत होने के लिये पुनः आमंत्रित किया जावेगा। बीपीएल परिवार होने की स्थिति में भामाशाह सेवा केन्द्र पर महिला व चार अन्य सदस्यों तक उपस्थित होने पर उनका नामाकंन कर लिया जावेगा। लघु/सीमांत कृषक होने की स्थिति में संबंधित परिवारों की महिलाओं के उपस्थित होने पर ही उनका नामांकन पूर्ण कर लिया जावेगा। ऐसे परिवारों के फार्म/फोटोग्राफ एवं बायोमेट्रिक्स भी राज्य स्तर पर लाये जायेंगे एवं उनके स्मार्ट कार्ड लगभग एक माह बाद जारी होने के पश्चात् भामाशाह सेवा केन्द्र के माध्यम से वितरित किये जायेंगें। तत्पश्चात् ऐसे परिवार भी अपना बैंक खाता भी सेवा केन्द्रों से संचालित कर सकेंगें एवं अन्य सुविधाओं/सेवाओं का लाभ उठा सकेंगें।

स्मार्ट कार्ड वितरण इत्यादि हेतु कार्यक्रम का आयोजन–

<u>A. M/s. IL&FS के भामाशाह सेवा केन्द्रों पर</u>

10. भामाशाह ट्रोंजेक्शन मशीन की क्षमता, प्रत्येक बीपीएल परिवार, लगभग 14 बायोमेट्रिक्स निशान लेने में लगने वाले समय, 200/– रूपये नकद आहरण हेतु आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने, इत्यादि में लगने वाले समय को देखते हुए एक दिवस में लगभग 30 से 35 परिवारों को ही स्मार्ट कार्ड का वितरण एवं दिशा–निर्देश के उपरोक्त पैरा–6 व 7 में वर्णित कार्य किया जाने का कार्यक्रम बनाया गया है। अतः 22 सितम्बर, 2008 से, यानि कैम्प की पहली तिथि से, 30–35 परिवार प्रतिदिन बुलाये जायें, जब तक कि पंचायत में लाभान्वित होने वाले सभी परिवारों को कार्ड वितरण का कार्य पूर्ण किया जा सके।

11. प्रत्येक भामाशाह सेवा केन्द्र के लिये M/s. IL&FS / M/s. IGS निम्न सूचियां तैयार करेंगें:

    अ. बीपीएल परिवारों की सूची।

    ब. बीपीएल के अलावा लघु/सीमान्त कृषक एवं पात्र एससी/एसटी परिवारों की सूची।

    स. नामांकन कैम्पों में अपूर्ण रहे नामांकन वाले परिवारों की सूची।

    द. पात्र बीपीएल, लघु/सीमान्त कृषकों में से नामांकन हेतु उपस्थित नहीं होने वाले परिवारों की सूची।

12. प्रत्येक भामाशाह सेवा केन्द्र के लिये उपरोक्त दो सूचियों में से भामाशाह सेवा केन्द्र की क्षमता को ध्यान में रखते हुये 30 से 35 परिवारों के स्मार्ट कार्ड हेतु आमंत्रित किया जायेगा। M/s. IL&FS / M/s. IGS प्रतिदिन का कार्यक्रम बना सम्बन्धित ग्राम सेवक/पटवारी को सूचित करेंगें। विकास अधिकारी इस प्रक्रिया की निगरानी रखेंगें।

13. इन केन्द्रों पर पैरा 8 व 9 कें अंकित दो वर्गो के परिवारों का नामांकन भी किया जावेगा। इस हेतु M/s. IL&FS / M/s. IGS ने विशेष enrolment teams का गठन किया है। प्रत्येक पंचायत में ऐसे परिवारों की संख्या को देखते हुए 2–4 दिवस नियत किये जाकर ये टीमें भामाशाह सेवा केन्द्रों पर आयेगी। इस कार्यक्रम के तीन–चार दिवस पूर्व सम्बन्धित M/s. IL&FS / M/s. IGS अधिकारी परिवारों की सूची पटवारी/ग्राम सेवक को उपलब्ध करायेंगें। जिन दिवसों पर Enrolment team आयेगी, उन दिनों के लिये 60 से 100 परिवारों को प्रतिदिन नामांकन पूर्ण करने या नया नामांकन भरने के लिये संबंधित विकास अधिकारी ग्राम सचिव/पटवारी के माध्यम से आमंत्रित किया जायेगां। इन परिवारों

के स्मार्ट कार्ड का वितरण नामांकन के लगभग 30 दिन बाद भामाशाह सेवा केन्द्रों के माध्यम से किया जावेगा।

14. इस चरण के दौरान बायोमेट्रिक्स लेने तथा नकद आहरण का संवेदनशील कार्य किया जायेगा, अतः यह अत्यंत आवश्यक होगा कि भामाशाह सेवा केन्द्रों पर पूर्ण व्यवस्थ बनी रहे एवं समुचित सुरक्षा एवं व्यवस्था के साथ ही यह कार्य किया जाये। प्रत्येक केन्द्र के साथ जुड़ें परिवारों की संख्या को देखते हुए लगभग 10 से 20 दिन के अंदर उपर वर्णित चार श्रेणियों से संबंधित कार्य पूर्ण किया जा सकेगा। जिला कलेक्टर संबंधित तहसीलदार/एस. डी.ओ. के माध्यम से यह सुनिश्चित करें कि इन केन्द्रों पर पर्याप्त सुरक्षा व व्यवस्था बनी रहे।

B. M/s. Bartronics के भामाशाह सेवा केन्द्रों पर

15. M/s. Bartronics ने अधिकतर नामांकनों में biometrics प्रथम चरण के कैम्पों में ले लिये थे। M/s. Bartronics ने अपने क्षेत्र में निम्न प्रक्रिया प्रस्तावित की हैः

(i) प्रत्येक पंचायत के लिये चार भामाशाह ट्रांजेक्शन मशीन व 8–10 व्यक्तियों के एक दल के माध्यम से कार्य सम्पादित किया जायेगा।

(ii) जिन परिवारों का नामांकन हो चुका हो उन्हें 60–80 प्रतिदिन की औसत से आमंत्रित किया जावेगा व उनके biometrics का सत्यापन कर उन्हें स्मार्ट कार्ड वितरित किया जावेगा। साथ ही, 200 रूपये का आहरण भी किया जायेगा। बैंक व बीपीएल परिवारों हेतु बीमा कम्पनी की तरफ से स्वागत पत्र दिया जावेगा।

(iii) पैरा 8–9 में अंकित दोनों श्रेणियों के परिवारों को भी 60–100 की संख्या में प्रतिदिन आमंत्रित किया जावेगा व उनके फार्मो में रही कमी तथा नवीन नामांकन का कार्य biometrics सहित पूरा किया जावेगा। ऐसे परिवारों को स्मार्ट कार्ड लगभग 30 दिवस के अंतराल के बाद किया जा सकेगा।

स्मार्ट कार्ड वितरण, नकद आहरण एवं पुर्न–नामांकन में ग्राम सेवक व पटवारियों की भूमिकाः–

16. भामाशाह योजना के क्रियान्वयन के इस द्वितीय चरण में ग्राम सेवक/ पटवारियों का महत्वपूर्ण भूमिका है। इन दिशा–निर्देशों में उनके कार्य का विस्तृत उल्लेख यथा स्थान पर कर दिया गया है। ग्राम सेवक एवं पटवारी इस अवधि के दौरान अन्य कार्यो में भी व्यस्त

रहेंगे, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भामाशाह सेवा केन्द्र पर प्रमाणन एवं अन्य कार्यो के लिये उनकी उपस्थिति निम्न प्रकार सुनिश्चित की जायेः

1. स्मार्ट कार्ड वितरण एवं नकद आहरण की प्रकिया हेतु ग्राम सेवा बीपीएल परिवारों एवं चिन्हित एससी/एसटी परिवारों के संबंध में परिशिष्ट–7 में दिये प्रपत्र के अनुसार इन दिशा–निर्देशों के पैरा–6 व 7 में वर्णित कार्यो का आवश्यक प्रमाणन करेंगे एवं अपनी सील अंकित करेंगे। इसी प्रकार पटवारी लघु एवं सीमान्त कृषकों के संबंध में इस प्रकार का प्रमाणन करेंगे।
2. इसी प्रकार बीपीएल एवं चिन्हित एससी/एसटी परिवारों के संबंध में अपूर्ण नामांकनों को पुर्ननामांकन करने के लिये पैरा–8 में दिये गये दिशा–निर्देश एवं प्रथम चरण में नामांकन नहीं करवा पाए पात्र बीपीएल एवं चिन्हित एससी/एसटी परिवारों के संबंध में पैरा–9 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार ग्राम सेवक एवं यहीं कार्य लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिये पटवारी सम्पादित करेंगे।
3. पैरा–16 (i) में अंकित प्रमाणन कार्य के लिए M/s. IL&FS को आवंटित 29 जिलों में यह कार्य प्रतिदिन एक घण्टे की अवधि में सम्पादित किये जा सकते हैं जबकि M/s. Bartronics को आवंटित 4 जिलों में इस कार्य के लिए लगभग 2 घण्टे लगना सम्भावित है। सामान्यतया दिन भर में biometrics लिये जाने एवं नकद आहरण के कार्य को देखते हुए M/s. IL&FS के कैम्पों में ग्राम सेवक/पटवारी शाम 4 से 5 बजे के मध्य उपस्थित हो सकते हैं एवं M/s. Bartronics के कैम्पों में यह कार्य शाम 3 से 5 बजे के मध्य सम्पादित किया जा सकता है। पंचायत विशेष में आवश्यकता एवं स्थिति को देखते हुए समय की अवधि एवं समय का निर्धारण आपसी सहमति से किया जा सकता है।
4. पुर्ननामांकन एवं प्रथम चरण में शेष रहे नामांकन के समय संबंधित ग्राम सेवक/पटवारी का पूरे दिन कैम्प में रहना आवश्यक है। ये नामांकन/पुर्ननामांकन कार्य किसी भी पंचायत में दो या तीन दिन से ज्यादा की अवधि के लिए सम्भावित नहीं है। अतः इन दिनों में संबंधित ग्राम सेवक/पटवारी पूर्ण समय भामाशाह सेवा केन्द्र पर उपलब्ध रह कर इस कार्य को सम्पादित करेंगें।

जिला कलेक्टर, विकास अधिकारी एवं तहसीलदार की भूमिकाः–

17. भामाशाह सेवा केन्द्र के प्रथम चरण में सभी जिला कलेक्टर्स ने प्रशंसनीय नेतृत्व प्रदान किया था। इस कार्यक्रम को 22 सितम्बर, 2008 से शुरू हो रहे द्वितीय चरण में भी सभी

जिला कलेक्टर्स इसी प्रकार का नेतृत्व की अपेक्षा है। सभी जिला कलेक्टर्स से अनुरोध है कि वे अपने जिलों में इस योजना के द्वितीय चरण के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठावें। चूंकि कैम्पों का आयोजन तैयार हो रहे स्मार्ट कार्ड एवं खोले गये व खुल रहे बैंक खातों को देख कर तय किया है। अतः जिला कलेक्टर्स कैम्पों के कार्यक्रम को अपने स्तर पर परिवर्तित न करें। सभी जिला कलेक्टर्स संबंधित विकास अधिकारियों एवं तहसीलदारों की एक बैठक ले कर उन्हें उनके क्षेत्र में आयोजित होने वाले कैम्पों पर सभी कार्य सुचारू रूप से सम्पादित हो सके इस हेतु आवश्यक सुपरवीजन करने के लिए पाबन्द करें। किसी भी स्थिति किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो प्रमुख शासन सचिव, वित्त श्री सुभाष गर्ग एवं वित्त सचिव श्री दीपक उप्रेति से सम्पर्क किया जा सकता है।

18. **सभी जिला कलेक्टर्स से यह भी अनुरोध है कि कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिये प्रतिदिन आवश्यक प्रगति की सूचना एकत्रित करें एवं प्रति सप्ताह इस कार्यक्रम की समीक्षा कर इसे सुचारू रूप से सम्पादित करना सुनिश्चित करें।**

भामाशाह सेवा केन्द्र का नियमित रूप से संचालनः–

19. 22 सितम्बर 2008 से आंरभ होने वाले स्मार्ट कार्ड का वितरण का कार्यक्रम 15 अक्टूबर 2008 तक पूर्ण किया जाना अपेक्षित है। अतः 16 अक्टूबर 2008 या राज्य सरकार द्वारा अन्य कोई निश्चित तारीख से भामाशाह सेवा केन्द्र में कैम्प नहीं हो कर, प्रतिदिन वाला सामान्य संचालन शुरू हो जायेगा, तथा इन केन्द्रों पर सभी स्मार्ट कार्डधारी एवं खातेदार परिवार अपने खाते का संचालन कर सकेंगें। साथ ही यह केन्द्र अन्य सभी ग्रामीण परिवार ग्रामीण अंचलों में सम्पादित हो रही संस्थाओं व कार्यालयों के लिये भी स्मार्ट कार्ड से चलित बैंक सुविधाएं उपलब्ध करवायेगी। परन्तु इन खातों को खोलने व स्मार्ट कार्ड जारी करने का व्यय संबंधित बैंक/संबंधित परिवारों द्वारा उठाया जावेगा। अतः कोई सरकारी विभाग अपनी किसी योजना के अंतर्गत स्मार्ट कार्ड बनाने एवं खाते खोलने का कार्य करना चाहे तब स्मार्ट कार्ड एवं खाता खोलने के लिये 100/– रूपये का भुगतान संबंधित विभाग द्वारा किया जा सकेगा एवं उनके लाभान्वितों को निःशुल्क स्मार्ट कार्ड/खाते की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

20. भामाशाह सेवा केन्द्रों के सम्बन्ध में समय–समय पर आवश्यक निर्देश वित्त विभाग द्वारा जारी किये जाते रहेंगें।

परिशिष्ठ–1

आई.एल. एण्ड एफ.एस. द्वारा जिलेवार लक्ष्य की तुलना में
किये गये नामांकनो की संख्या

S.No.	Districts	Targeted Beneficiaries	Enrolments upto 3rd Sep. 08
1	Ajmer	201892	179253
2	Alwar	320890	271561
3	Banswara	281515	216158
4	Baran	111998	98608
5	Barmer	186209	141065
6	Bhilwara	290897	205954
7	Bikaner	127483	96140
8	Bundi	105412	84657
9	Chittorgarh	221031	137412
10	Churu	143361	94320
11	Dausa	175817	156431
12	Dungarpur	228647	201566
13	Hanumangarh	108951	75016
14	Jaipur	296911	265893
15	Jaisalmer	23220	33072
16	Jalore	180189	112578
17	Jhalawar	151039	132368
18	Jhunjhunu	193215	129117
19	Jodhpur	197122	148675
20	Kota	88723	66880
21	Nagaur	221834	136963
22	Pali	201142	157271
23	Pratapgarh	130000	107234
24	Rajsamand	176708	133600
25	S. Ganganagar	107077	87304
26	Sikar	200762	146506
27	Sirohi	104323	79529
28	Tonk	134101	105474
29	Udaipur	392255	296901
Total		**5302724**	**4097506**

परिशिष्ठ–2

बारट्रोनिक्स द्वारा जिलेवार लक्ष्य की तुलना में

किये गये नामांकनो की संख्या

S.No.	Districts	Targeted Beneficiaries	Enrolments upto 3rd Sep. 08
1	Bharatpur	223166	187299
2	Dholpur	112770	98355
3	Karauli	165291	60605
4	S.Madhopur	135500	115603
Total		**636727**	**461862**

परिशिष्ठ–3

पंचायत वार भामाशाह सेवा केन्द्रो की स्थापना का कार्यक्रम स्थान व दिनांक सहित

– शीघ्र ही अलग से प्रेषित की जावेगी। –

परिशिष्ट–4

भामाशाह वित्तीय सशक्तिकरण एवं नारी समृद्धि योजना के अन्तर्गत बैंको को आंवटित जिलो की सूची

क्र.सं.	बैंक का नाम	जिले का नाम
1	पंजाब नेशनल बैंक	1 अजमेर 2 अलवर 3 बासंवाडा 4 बाडमेर 5 भीलवाडा 6 बीकानेर 7 बून्दी 8 चित्तौडगढ 9 चुरू 10 दौसा 11 डूगंरपुर 12 हनुमानगढ़ 13 जयपुर 14 जैसलमेर 15 जालौर 16 झालावाड 17 झुन्झुनू 18 जोधपुर 19 कोटा 20 प्रतापगढ 21 श्रीगंगानगर 22 सीकर 23 सिरोही 27 टोंक 25 उदयपुर
2	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	1 बारां 2 पाली 3 राजसमन्द
3	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	1 नागौर
4	बैंक ऑफ बडौदा	1 भरतपुर 2 धौलपुर 3 करौली 4. सवाई माधोपुर

परिशिष्ठ–5

बैंक द्वारा खातेदारो को दिया जाने वाला स्वागत पत्र

पंजाब नेशनल बैंक
एफजीएम कार्यालय, जयपुर

प्रेषित :–

श्रीमति...पत्नि/पुत्री श्री ....

ग्राम...ग्राम पंचायत ....

पंचायत समिति..............................जिला..

सितम्बर............2008

प्रिय ग्राहक,

राज्य सरकार द्वारा भामाशाह वित्तीय सशक्तिकरण एवं नारी समृद्धि योजना के अन्तर्गत रूपये 1500/– प्रोत्साहन राशि जमा करवाने के साथ ही आपका खाता हमारे राष्ट्रीयकृत बैंक ''पंजाब नेशनल बैंक'' में खोल दिया गया है, और अब आप इसके एक सम्मानित सदस्य बन गये है। आपके बैंक खाते से संबंधित जानकारी निम्न है :–

1. खाता संख्या :
2. खाता आईडी :
3. स्मार्ट कार्ड का सीरियल नम्बर :

आपके खाते का संचालन भामाशाह ट्रांजेक्शन मशीन पर आपकी अंगुलियों के निशान के मिलान से ही सम्भव हो सकेगा फिलहाल आपका खाता.......................भामाशाह सेवा केन्द्र से संचालित होगा।

आपके खाते से 200/– रूपये की राशि आपने आज निकाल ली है। शेष 1300/– रूपये की राशि आप दिनांक 16 अक्टूबर, 2008 के पश्चात् कभी भी निकाल सकते है। साथ ही, इस बैंक खाते में आप अपने पैसे जमा करवाने और निकालने का कार्य एक सामान्य बैंक खाते के तरीके से कर सकेगें। आप अगर एनआरजीए योजना में श्रम कार्य करते है या आपको राज्य सरकार की किसी पेंशन या अन्य योजना में राशि प्राप्त होती है तो उसका भुगतान भी इस खाते के माध्यम से किया जा सकेगा।

यह हर्ष का विषय है कि आप अब संगठित बैंकिगं प्रणाली की मुख्य धारा से जुड गये है। हम आपको आश्वासन देते है कि हम आर्थिक विकास के लिये हर सम्भव वित्तीय सहायता प्रदान करेगें। हम आपको यह भी अवगत कराना चाहते है कि अन्य परिवार एवं आपके परिवार के अन्य सदस्य भी हमारे प्रतिष्ठित बैंक में आपने खाते खुलवाना चाहें तो उनका भी हार्दिक स्वागत है।

पंजाब नेशनल बैंक ने इस वर्ष को ''वित्तीय समावेशन वर्ष'' घोषित किया है। अतः हम पुनः आपका हमारे बैंक में हार्दिक स्वागत करते है और आपको सर्वोत्तम सेवायें प्रदान करने का आश्वासन देते है। आप हमारे वित्तीय उत्पादों के संबंध में हमारी किसी भी शाखा से अथवा हमारे टोल फ्री नम्बर – लैंडलाइन 18001802222 या 12342340000 (मोबाईल फोन प्रयोक्ताओं हेतु) या हमारी वेबसाइट www.pnbindia.com पर सम्पर्क कर सकते है।

शुभकामनाओं सहित।

परिशिष्ठ–6

आईसीआईसीआई लोम्बार्ड द्वारा स्वागत पत्र एवं बीमा योजना से संबंधित जानकारी

प्रिय बीमाधारक

भामाशाह वित्तीय सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत प्रदेश के उन परिवारो को जो कि गरीबी रेखा के नीचे आते है स्वास्थ्य बीमा आवरण दिया जा रहा है।

यह सुविधा आपके परिवार को भी प्रदान की जा रही है, जिसके अन्तर्गत आपको व आपके परिवार के सदस्यो को बीमारी और दुर्घटना की अैवज में होने वाले अस्पताल खर्च का वहन आईसीआईसीआई लोम्बार्ड द्वारा किया जायेगा।

इस स्वास्थ्य बीमा योजना के मुख्य बिन्दु पुस्तिका में उल्लेखित है, साथ ही स्मार्ट कार्ड के प्रयोग में आने के निर्देश भी संलग्न हैं। इस कार्ड को प्रयोग सलग्न अस्पतालो की सूची में कही भी किया जा सकता है।

किसी भी सेवा हेतु आप आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के प्रतिनिधि से भी सम्पर्क साध सकते है।

लाभ

1. परिवार के मुखिया सहित पांच सदस्यो को रूपये 30000 प्रतिवर्ष तक का स्वास्थ्य बीमा आवरण दिया जायेगा।
2. योजना में बीपीएल परिवार के लोग, मुखिया, पति, पत्नि और अधिकतम 3 बीमित शामिल हो सकते है।
3. भामाशाह योजना के अन्तर्गत जारी किए गये कार्ड के माध्यम से नगद भुगतान किये बिना 30000 रूपये तक की स्वास्थ्य सेवा का लाभ लिया जा सकता है। इस प्रकार बीमित को इलाज के लिये नगदी भुगतान नही करना पडेगा।
4. परिवार को फलोटर आकार पर लाभ दिया जायेगा, जिसका अर्थ यह है कि प्रतिवर्ष किसी एक व्यक्ति या पूरे परिवार द्वारा सम्मिलित रूप से 30000 रू लाभ लिया जा सकता है।
5. कुछ अपवर्जन को छोडकर पहले से मौजूद शारीरिक स्थिति बीमारी से सुरक्षा का बीमा।
6. शल्य उपचार संबंधी सिर्फ दिनभर के लिये स्वास्थ्य सेवा भी ली जा सकती है।
7. यात्रा भत्ता एक बार आने जाने के लिये 100 रूपये भी इस योजना में देय है। इसकी अधिकतम राशि रूपये 1000 सालाना है।
8. योजना में शामिल बीपीएल परिवारो के लिये कोई प्रीमियम देय नही है। प्रीमियम राजस्थान सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।
9. अस्पताल में भर्ती होने से पूर्व 1 दिन तथा अस्पताल से छुटटी की तिथी से 6 दिनो तक उपचार की सुविधा।

Bhamashah Financial Empowerment Scheme
Customer Identification & Verification – First Operation in Bank Account

Customer Account No. **************** Customer ID: *********
ग्राहक खाता सख्या: ग्राहक आई डी सख्या:

Customer Name ग्राहक का नाम	:		BPL (बीपीएल)
Father/Husband Name पिता/पति का नाम	:	Category : वर्ग	SF (लघु किसान)
			MF (सीमान्त किसान)
			Identified SC चयनित अनुसूचित जाति
Family ID परिवार सख्या	:		Identified ST चयनित अनुसूचित जनजाति
District जिला	:	Block ब्लॉक	:
Panchayat पंचायत	:	Village गॉव	:

Amount Received : Rs. 200/- (Two Hundred Only)

( )

Signature/Thumb Impression of Account Holder
अकाउन्ट होल्डर का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

घोषणा:–
हम प्रमाणित करते हैं कि वित्तीय समावेशन योजना (राजस्थान सरकार भामाशाह वित्तीय सशक्तिकरण एवं नारी समृद्धि योजना) के अंतर्गत उपरोक्त "नो फिल" खाताधारक ने अधोहस्ताक्षरकर्ताओं के समक्ष पॉस मशीन में बायो मैट्रिक प्रणाली हेतू आवश्यक अंगूठा/अंगुलियों की निशानी, स्मार्ट कार्ड की पावती दी है एवं खाते में परिचालन किया है। उक्त खाताधारक के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी सत्यापित की जाती है।

....
हस्ताक्षर सर्विस प्रोवाइड/बीसी (सील सहित) हस्ताक्षर ग्रामसेवक (सील सहित) हस्ताक्षर पटवारी (सील सहित)

नाम:.................. नाम ग्रामसेवक.................. नाम पटवारी..................

स्थान:..................

तिथि:..................